बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
!! निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ !!
आदेश

आ0सं0– 6/एन0–08–19/2021–........................... /पटना–15, दिनांक–....................................

देव फाउण्डेशन ट्रस्ट, हाउस नं0–09, शक्ति पथ, डॉ0 बी0 भट्टाचार्या, पश्चिमी पटेल नगर, पटना–23 द्वारा निजी प्रक्षेत्र में संचालित नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थान संत मैरी नर्सिंग इन्स्टीच्यूट, शेखपुरा, थाना–मुफ्फसिल, जिला–औरंगाबाद–824102 को विभागीय आदेश संख्या–1082(6), दिनांक–12.07.2023 द्वारा 60 सीटों के साथ ए0एन0एम0 कोर्स संचालित करने हेतु मान्यता प्रदान की गई थी।

2–नर्सेज ट्रेनिंग रिकोगनिशन, एफिलिएशन एवं कंडक्ट ऑफ एक्जामिनेशन्स ऑफ स्कूल ऑफ नर्सिंग रूल्स, 1997 के निहित प्रावधान के तहत निर्गत विभागीय आदेश संख्या–293(6), दिनांक–12.03.2025 द्वारा संसूचित निर्णय के आलोक में संत मैरी नर्सिंग इन्स्टीच्यूट, शेखपुरा, थाना–मुफ्फसिल, जिला–औरंगाबाद–824102 के अध्यक्ष/सचिव द्वारा अपने संस्थान के सावधिक निरीक्षण हेतु आवेदन समर्पित किया गया।

3–उक्त के आलोक में संस्थान की सावधिक निरीक्षण हेतु विभागीय आदेश ज्ञापांक–1382(6), दिनांक–26.11.2025 द्वारा डॉ0 श्यामा राय, अपर निदेशक, मुख्यालय, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना की अध्यक्षता में एक चार सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया।

4–समिति द्वारा संस्थान के निरीक्षण के उपरान्त डॉ0 श्यामा राय, अपर निदेशक, मुख्यालय, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना के पत्रांक–20/अ0नि0को0, दिनांक–11.12.2025 द्वारा विभाग में समर्पित निरीक्षण प्रतिवेदन में संस्थान में भौतिक संरचना यथा शैक्षणिक भवन, छात्रावास, भूमि, लैब की उपलब्धता, लाईब्रेरी में पुस्तक जर्नल, मैगजीन एवं शैक्षणिक कर्मियों की उपलब्धता को मानक के अनुरूप पाते हुए अगले तीन सत्रों के लिए ए0एन0एम0 कोर्स में 60 सीटों के साथ अवधि विस्तार की अनुशंसा की गई है।

अतः निरीक्षण समिति से प्राप्त उक्त अनुशंसा के आलोक में संत मैरी नर्सिंग इन्स्टीच्यूट, शेखपुरा, थाना–मुफ्फसिल, औरंगाबाद–824102 को नर्सेज ट्रेनिंग रिकोगनिशन, एफिलिएशन एवं कंडक्ट ऑफ एक्जामिनेशन्स ऑफ स्कूल ऑफ नर्सिंग रूल्स, 1997 में निहित प्रावधान के आलोक में ए0एन0एम0 कोर्स में पूर्व निर्धारित सीटों के साथ अगले तीन वर्षों के लिए मान्यता जारी रखने की सहमति प्रदान की जाती है।

ह0/–
(डॉ0 रेखा झा),
निदेशक प्रमुख (नर्सिंग)।

ज्ञापांक : 6/एन0–08–19/2021–77(6A) पटना दिनांक–02/02/2026

प्रतिलिपिः–सचिव, भारतीय उपचर्या परिषद्, 8वां तल्ल, एन0बी0सी0सी0 सेंटर, प्लॉट नं0–2, कम्यूनिटी सेंटर, ओखला फेज–01, नई दिल्ली–110020/निबंधक, बिहार परिचारिका निबंधन परिषद, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–निबंधक/परीक्षा नियंत्रक, बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, मीठापुर फॉर्म एरिया, मीठापुर, पटना–800001 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–विशेष कार्य पदाधिकारी, बी0सी0ई0सी0ई0बोर्ड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–जिला पदाधिकारी/सिविल सर्जन, औरंगाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–अध्यक्ष/सचिव/प्राचार्य, संत मैरी नर्सिंग इन्स्टीच्यूट, शेखपुरा, थाना–मुफ्फसिल, औरंगाबाद–824102 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/विशेष सचिव, प्रभारी प्रशाखा–06 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख (नर्सिंग)।